रजिस्टर सं० डी—(डी)—73 REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 19, 1981 (भाद्रपद 28, 1903)
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 19, 1981 (BHADRA 28, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	623
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1185
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	5
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1269
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खंड 3-(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	10957
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	491
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	109
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2469
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	185
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु आदि के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	623
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1185
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1269
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION I-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committees on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of Indin (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3(iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in section 3 or section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	10957
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	491
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	109
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2469
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	185
PART V.—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 1981

सं. 62-प्रेज./81—राष्ट्रपति मिजोरम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पता

श्री थानज्वाला,
कांस्टेबल सं. 54,
थाना लुंगलई,
मिजोरम।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

2 फरवरी, 1980 को सूचना मिली कि लुंगलई से लगभग 40 कि. मी. दूर फैरुआंग क्षेत्र में सशस्त्र उग्रवादियों का एक गिरोह देखा गया था। सूचना का सत्यापन करने और उग्रवादियों को पकड़ने की चेष्टा करने के लिए एक पुलिस दल तैनात किया गया। समस्त पुलिस दल शाम लगभग 6.30 बजे फैरुआंग के लिए रवाना हुआ। वाहन को गांव से लगभग एक कि.मी. की दूरी पर ही छोड़ दिया गया। पुलिस दल को तीन टुकड़ियों में विभाजित किया गया। पहली टुकड़ी में श्री सावमसुआला, श्री वनहनुआईथांगा और श्री थानज्वाला थे। ज्यों ही इस टुकड़ी ने फैरुआंग पुल पार किया और पुल से चौथे मकान के पास पहुंची तो सामरिक महत्व के स्थान पर मोर्चा संभाले तीन सशस्त्र उग्रवादियों ने पुलिस कर्मचारियों को अपनी चाल से आश्चर्यचकित कर दिया और तीनों कांस्टेबलों को हाथ उठाने का आदेश दिया और कहा कि ऐसा न करने पर उन्हें गोली मार दी जाएगी। एक उग्रवादी ने अपनी स्वचलित बन्दूक विशेषरूप से कांस्टेबल सावमसुआला की ओर की। तीनों कांस्टेबलों ने बिजली की गति की भांति आड़ ले ली। इस बीच सशस्त्र उग्रवादियों ने अपनी पिस्तोलों और स्टेनगन से तीनों कांस्टेबलों पर गोली चला दी। पुलिस कर्मचारियों ने भी उग्रवादियों पर गोली चलाई परन्तु सावमसुआला और वनहनुआईथांगा का गोला बारुद समाप्त हो गया और वे वास्तव में स्वरक्षारहित हो गये। थानज्वाला अपनी स्टेनगन से लगातार गोली चलाते रहे और उनकी दृढ़ता और सही निशानेबाजी ने उग्रवादियों को भागने पर मजबूर कर दिया। भागने के दौरान वे एक बन्दूक और कुछ गोला बारुद छोड़ गये।

इस मुठभेड़ में श्री थानज्वाला ने उत्कृष्ट वीरता, असाधारण साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 फरवरी, 1980 से दिया जाएगा।

सं. 61-प्रेज./81—राष्ट्रपति मिजोरम पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री सावमसुआला,
कांस्टेबल सं. 124,
थाना हनाहथिआल,
मिजोरम।

श्री वनहनुआईथांगा,
कांस्टेबल सं. 75,
थाना हनाहथिआल,
मिजोरम।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया !

2 फरवरी, 1980 को सूचना मिली कि लुंगलई से लगभग 40 किलोमीटर दूर फैरुआंग क्षेत्र में सशस्त्र उग्रवादियों का एक गिरोह देखा गया था। सूचना का सत्यापन करने और उग्रवादियों को पकड़ने की चेष्टा करने के लिए एक पुलिस दल तैनात किया गया। समस्त पुलिस दल शाम लगभग 6.30 बजे फैरुआंग के लिए रवाना हुए। वाहन को गांव से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर छोड़ दिया गया। पुलिस दल को तीन टुकड़ियों में विभाजित किया गया। पहली टुकड़ी में श्री सावमसुआला, श्री वनहनुआईथांगा और श्री थानज्वाला थे। ज्यों ही इस टुकड़ी ने फैरुआंग पुल पार किया और पुल से चौथे मकान के पास पहुंची, तो सामरिक महत्व के स्थान पर मोर्चा संभाले तीन सशस्त्र उग्रवादियों ने पुलिस कर्मचारियों को अपनी चाल से आश्चर्यचकित कर दिया और तीनों कांस्टेबलों को हाथ उठाने का आदेश दिया और कहा कि ऐसा न करने पर उन्हें गोली मार दी जाएगी। एक उग्रवादी ने अपनी स्वचालित बन्दूक विशेषरूप से कांस्टेबल सावमसुआला की ओर की। तीनों कांस्टेबलों ने बिजली की गति की भांति आड़ ले ली। इस बीच सशस्त्र उग्रवादियों ने अपनी पिस्तोलों और स्टेनगन से तीनों कांस्टेबलों पर गोली चला दी। पुलिस कर्मचारियों ने भी उग्रवादियों पर गोली चलाई परन्तु सावमसुआला और वनहनुआईथांगा का गोला-बारुद समाप्त हो गया और वे वास्तव में स्वरक्षारहित हो गये। थानज्वाला अपनी स्टेनगन से लगातार गोली चलाते रहे और उनकी दृढ़ता और सही निशानेबाजी ने उग्रवादियों को भागने पर मजबूर कर दिया। भागने के दौरान वे एक बन्दूक और कुछ गोला-बारुद छोड़ गये। इस मुठभेड़ में वनहनुआईथांगा की बाईं हथेली गोली से जख्मी हो गई किन्तु घायल होने के बावजूद वे दोनों ओर से भारी गोली बारी के बीच उग्रवादियों का बराबर पीछा करते रहे।

इस मुठभेड़ में श्री सावमसुआला और श्री वनहनुआईथांगा उत्कृष्ट वीरता, असाधारण साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. ये बार राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 फरवरी, 1980 से दिया जाएगा।

सु. नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप सचिव

योजना मंत्रालय

सांख्यिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 81

सं. एम.-13016/3/81-समन्वय--कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के अवैतनिक प्रोफेसर प्रो. एम. मुकर्जी की अध्यक्षता में अन्तर्राष्ट्रीय तुलना परियोजना संबंधी विशेषज्ञ समिति स्थापित करने का निर्णय किया गया है। समिति की संरचना नीचे दी गई है :--

अध्यक्ष

1. प्रो. एम. मुकर्जी
अवैतनिक प्रोफेसर
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान
कलकत्ता।

सदस्य

2. प्रो. के. एल कृष्णा
संकाय एवं निदेशक,
दिल्ली स्कूल आफ इक्नामिक्स, दिल्ली।

3. डा. ए. के. घोष

अध्यक्ष

औद्योगिक लागत भाव कार्यालय,
नई दिल्ली।

4. महानिदेशक
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
(डा. के. सी. शील)

5. सलाहकार (पी. पी.) योजना
आयोग (डा. एल. पी. गुप्ता)

6. आर्थिक सलाहकार,
वित्त मंत्रालय
(डा. महफूल अहमद)

7. भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि
बम्बई।

8. अपर निदेशक,

राष्ट्रीय आय प्रभाग के. सा. सं.
नई दिल्ली।

2. समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे:--

1. अन्तर्राष्ट्रीय तुलना परियोजना (आ. ज. परि.) में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा अपनाई गई प्रणालियों एवं कार्य-विधियों की जांच करना और उसके सम्बन्ध में हो सकने वाले सुधारों के बारे में सुझाव देना, और

2. अन्तर्राष्ट्रीय तुलना परियोजना के विभिन्न प्रावस्थाओं से संबंधित तकनीकी मामलों के बारे में मार्गदर्शन करना।

3. समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता से संबंधित गैर सरकारी व्यय सामान्य नियमों के अनुसार सांख्यिकी विभाग द्वारा पूरा किया जायेगा। समिति को केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग द्वारा सचिवालयके सहायता दी जाएगी।

4. जब तक भारत अन्तर्राष्ट्रीय तुलना परियोजना में भाग लेता रहेगा उस समय तक विशेषज्ञ समिति कार्यरत रहेगी।

एम. एल. आनन्द
अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 अगस्त 1981

सं. 13019/1/-जी. पी.-II--इस मंत्रालय की तारीख 23-4-1980 को अधिसूचना संख्या 13019/5/79-जी. पी.-II में आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति, संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति के निम्नलिखित सदस्यों का कार्यकाल 30-9-1981 तक सहर्ष बढ़ाते हैं:--

पदेन सदस्य

1. मुख्य आयुक्त, चंडीगढ प्रशासन, चंडीगढ।
2. चंडीगढ संघ शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य।
3. कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ।

गैर-सरकारी सदस्य

1. श्री भोपाल सिंह
2. श्री केदार नाथ शर्मा
3. श्री हरभजन सिंह ओसहन
4. श्री. आर. एल. बट्टा
5. श्री. आर. के. साहू
6. श्री जोगिन्दर सिंह साहनी
7. श्रीमती शकुन्तला भाटिया
8. श्री सुखवंत सिंह, अध्यक्ष, लघु उद्योगपति संघ चंडीगढ।
9. श्री हरबिलास बंसल, बंसल मोटर्स, सेक्टर 28, चंडीगढ़।
10. श्री प्रेम राज सिंह चौधरी, म. नं 502, सैक्टर 11 चंडीगढ।
11. श्री चमन लाल शर्मा, एडवोकेट तथा आयकर प्रेक्टीशनर, चंडीगढ।
12. श्री राकेश मोहिन्दर, 92 ग्रेन मार्किट, चंडीगढ
13. श्री के. सी. सिंहमार, अनुसूचित जातियां
14. श्रीमती कलसी, रेड क्राम ब्लड बैंक, पी. जी. आई., चंडीगढ।
15. श्री सरदूल सिंह विलमू, म. नं. 235, सेक्टर 19-ए, चंडीगढ।
16. श्री गोपीचंद, एडवोकेट, 588/16-ए, चण्डीगढ़।

एस. सी. शर्मा
उप सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 सितम्बर 1981

संकल्प

सं. 4/2/81-ई पी. जेड.—सरकार ने दो मुक्त व्यापार जोन स्थापित किये थे, पहला 1965 में कांडला (गुजरात) में और दूसरा 1973 में सान्ताक्रूज (महाराष्ट्र) में। यद्यपि कांडला में स्थित मुक्त व्यापार जोन को पूर्णतः निर्यात प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार के औद्योगिक किस्म के एकक स्थापित करने की अनुमति दी गई थी लेकिन सान्ताक्रूज इलेक्ट्रानिक्स निर्यात प्रोसेसिंग जोन (सीपज) योजना को इलेक्ट्रानिक्स उद्योग में संबंधित एककों के लिए सीमित रखा गया था।

2. सरकार ने हाल ही में देश में किसी भी स्थान पर शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की एक नई योजना की घोषणा की है जिसमें अधिक लाभों का विस्तार किया गया है लेकिन करायकाश तथा अवस्थापना की वह उल्लेखनीय व्यवस्था नहीं है जो मुक्त व्यापार जोनों में स्थित एककों द्वारा प्राप्त की जाती है। इस योजना की प्रतिक्रिया अब तक बहुत उत्साहजनक रही है लेकिन इसकी कारगरता का पता अभी अथवा इस स्थिति में नहीं लगाया जा सकेगा।

3. दोनों मुक्त व्यापार जोनों की प्रगति आरंभ में धीमी थी लेकिन जहां तक कांडला मुक्त व्यापार जोन (के एफ एफ टी जैड) का सम्बन्ध है, 1980-81 में उसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तथापि, सीपज में प्रगति 1980-81 के दौरान धीमी रही है। मुक्त व्यापार जोन में एककों की धीमी वृद्धि विभिन्न कमियों के कारण हुई है जिसमें वित्तीय लाभ न मिलना, सीमाशुल्क निकासी तथा प्रशासनिक समस्याएं हैं। सीपज में विशेष रूप में धीमी वृद्धि का कारण जोन में गैर-इलेक्ट्रानिक एककों को अनुमति न देने पर प्रतिबंध लगाया जाना है। यह भी कहा जाता है कि विश्व के अन्य भागों में स्थित मुक्त व्यापार जोनों की जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में तीव्र वृद्धि की है, तुलना में इन मुक्त व्यापार जोनों में उपलब्ध कुल सुविधाएं बड़ी संख्या में निर्यात योग्य एककों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त एवं काफी आकर्षक नहीं हैं। हालांकि शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख योजना के अधीन प्रतिक्रिया अब तक उत्साहजनक रही है किन्तु इस योजना के संबंध में कुछ प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।

4. मुक्त व्यापार जोन तथा शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक योजना के कार्यचालन में अनुभव की गई समस्याओं को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि व्यावहारिक आर्थिक गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद् के अध्यक्ष श्री प्रकाश टंडन की अध्यक्षता में एक कृत्रिक दल के रूप में एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जाए। कृत्रिक दल का गठन निम्नोक्त प्रकार होगा:—

(1) श्री पी. एल. टंडन — अध्यक्ष
(2) कुमारी रामा मंजूमदार, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय — सदस्य
(3) श्री जी. एस. साहनी, सदस्य (सीमाशुल्क) उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क का केन्द्रीय बोर्ड — वही—
(4) अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग — वही—
(5) सदस्य प्रत्यक्षकर का केन्द्रीय बोर्ड — वही—
(6) सदस्य (संचार) डाक तथा तार बोर्ड — सदस्य
(7) आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय — वही—
(8) विकास आयुक्त, कांडला मुक्त व्यापार जोन — वही—
(9) विकास आयुक्त, सीपज बम्बई — वही—
(10) वाणिज्य मंत्रालय में मुक्त व्यापार जोनों के प्रभारी संयुक्त सचिव। — सदस्य सचिव

व्यापार विकास प्राधिकरण के सचिव श्री एस. एस. त्रेहन, समिति को उसके विचार विमर्श में और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में सहायता देंगे।

5. कृत्रिक दल के विचारार्थ विषय निम्नोक्त प्रकार होंगे :—

(1) क्या सान्ताक्रूज ई. पी. जैड. को एक ही उत्पाद जोन के रूप में जारी रखा जाना चाहिए अथवा कांडला की तरह वह उत्पाद जोन में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। अगर सांताक्रूज एक ही उत्पाद जोन बना रहे तो एक ही उत्पाद जोन के रूप में सांताक्रूज के निष्पादन को सुधारने के लिए क्या नीति संबंधी उपाय सुझाये जा सकते हैं।

(2) शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख उत्पादन की नई योजना की जांच करना और उस योजना के अधीन दी गई सुविधाओं का इस दृष्टि से मूल्यांकन करना कि क्या ये निर्यात उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त हैं।

5. क्या किन्हीं अन्य वित्त संबंधी उपायों की आवश्यकता है विशेष रूप से निवेश का वित्त पोषण और साथ ही निर्यात के लिए उत्पादन के संबंध में।

(4) कार्यान्वियन के अधीन विद्यमान योजनाओं अर्थात् मुक्त व्यापार जोन और शत प्रतिशत निर्यात उत्पादन के लिए योजना को ध्यान में रखते हुए निर्यात उत्पादन के संबंध में भावी नीति की सिफारिश करना।

(5) क्या भारत में मुक्त व्यापार जोनों में एककों को प्रदान की गई सुविधाओं की अन्य विकासशील देशों के मुक्त व्यापार जोनों में उपलब्ध सुविधाओं के साथ तुलना की जा सकती है। यदि नहीं, तो निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए मुक्त व्यापार जोनों की आकर्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक विशेष उपाय।

(6) विभिन्न मुद्दों को तेजी से निपटाने के लिए प्रशासनिक ढांचे, निर्णय लेने में स्वायत्तता तथा क्रियाविधियों में क्या क्या परिवर्तन किये जाने चाहिए ताकि मुक्त व्यापार जोनों की प्रगति को तीव्र किया जा सके।

(7) कोई अन्य उपाय जो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझा जाए जिसके लिए मुक्त व्यापार जोन तथा ऐसी ही अन्य योजनाएं तैयार की गई हैं, जैसे अंतर्देशीय परिवहन, एयर

कार्गो कम्पलैक्स, वित्त पोषणव्यवस्थाएं, ड्राई पोर्ट आदि जैसी अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की जांच करना।

6. श्री पी. एल. टंडन का यात्रा व्यय सरकार वहन करेगी। चूंकि अन्य सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए उनका यात्रा व्यय उनके संबंधित विभागों/संगठनों के बजट से पूरा किया जायेगा। समिति को एक विख्यात गवेषणा संस्थान की नियुक्ति करके कतिपय गवेषणा अध्ययन तथा लागत लाभ का विश्लेषण करना अपेक्षित होगा जो इस प्रकार के अध्ययन करने के लिए वरिष्ठ अर्थशास्त्री की भी व्यवस्था करेगी। इससे संबंधित खर्च वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वहन किया जायेगा।

7. कृत्रिक दल विचार-विमर्श में सहायता करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकता है।

8. कृत्रिक दल 31 मार्च, 1982 से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे सभी संबद्धों को परिचालित किया जाए।

आबिद हुसैन, सचिव

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1981

संकल्प

सं. 6-14/81-सीमेंट—एसबेस्टस सीमेंट उत्पाद उद्योग तथा एसबेस्टस के अन्य उत्पादों के विकास संबंधित मामलों की जांच करने के उद्देश्य से उनकी निरन्तर समीक्षा करने तथा सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए भारत सरकार ने इस विभाग के संकल्प संख्या 6-8/76-सीमेंट दिनांक 9 अगस्त, 1977 का अतिलंघन करते हुए एसबेस्टस उद्योग की नामिका का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है।

2. नामिका अन्य बातों के साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगी:—

(क) एसबेस्टस सीमेंट उत्पादों के विकास की मौजूदा स्थिति का आंकलन करना इसको सुदृढ़ बनाने और इसके विकास में तेजी लाने के लिए आवश्यक अभ्युपाय सुझाना।

(ख) एसबेस्टस सहित विभिन्न दुर्लभ निवेशों संबंधी इन उद्योगों की भावी आवश्यकता का आकलन करना तथा आयातित एसबेस्टस का इष्टतम उपयोग करने एवं देशी फाइबर के उपयोग में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपायों और तरीकों की सिफारिश करना।

(ग) खपत के विद्यमान प्रतिमानों और क्षमता स्तर की जांच करना तथा अन्य बातों के साथ-साथ सामग्री परीक्षण पुनःप्रयोग (रीसाइकिलिंग) आदि के माध्यम बर्बादी कम करने तथा उच्च उत्पाद स्तर हासिल करने के लिए अभ्युपाय सुझाना।

(घ) शुल्क वापस करने, अग्रिमों एवं आर ई पी लाईसेंसों आदि संबंधी प्रोत्साहनों की चालू नीतियों सहित निर्यात संवर्धन के लिए कार्यक्रम तैयार करना।

(ङ) उद्योग के विद्यमान प्रौद्योगिकी स्तर को आंकना तथा अग्रेतर अनुसंधान और विकास कार्यों की विशेष रूप से आयातित एसबेस्टस फाइबर का प्रतिस्थापन करने, निम्न श्रेणी के आयातित एसबेस्टस का उपयोग करने और उत्पादन प्रक्रियाओं और तकनीकों में सुधार करने के क्षेत्र में आवश्यकता का पता लगाना।

(च) औद्योगिक उपयोग के लिए अंतिम उत्पाद संबंधी प्रौद्योगिकीय मानक और अन्य परिवर्तनों संबंधी अग्रनिरूपण करना तथा ऐसी नवीन और परिवर्तनशील अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक आधार पर अभ्युपायों का पता लगाना।

(छ) एसबेस्टस विशेष करके छत में लगने वाली चद्दरों के सम्भावित प्रतिस्थापनों की जांच करना उदाहरण के तौर पर छत में चद्दरों को लगाने (एस्फाल्ट करने) का विकास करना और इसे उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप बनाना।

(ज) मजबूती और अन्य संचालनात्मक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ए. सी. उत्पादों के लिए और उपयुक्त बन्धन (बान्डिंग) सामग्री एवं विशेष प्रकार की सीमेंट का विकास करना।

(झ) छत एवं सी. आई. और ए. सी. सी. पाइपों का एसबेस्टस सीमेंट बिल्डिंग एवं प्रेशर पाइपों के प्रतिस्थापन के लिए विकल्प सामग्री के रूप में विकसित करने को ध्यान में रखकर उद्योग के विकास के लिए भावी कार्यक्रम तैयार करना तथा तत्संबंधी सिफारिश करना।

(ञ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामिका को भेजे गए उद्योग संबंधी किसी भी अन्य मामले पर परामर्श देना।

उपर्युक्त के अलावा, नामिका निम्नलिखित के लिए भी निरत रहेगी:—

(1) क्षमता संबंधी आवश्यकताओं का आंकना जिसमें क्षमता तथा भावी मांग आदि का आंकना सम्मिलित होगा।

(2) ए. सी. उत्पादों के लिए कच्ची सामग्री विशेषकर अच्छी किस्म की सीमेंट की उपलब्धता।

(3) प्रौद्योगिकीय विकास तथा एसबेस्टस और स्वास्थ्य के लिए खतरा संबंधी अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू।

3. नामिका का गठन निम्न प्रकार है :—

अध्यक्ष

श्री एस. आर. खन्ना,
औद्योगिक सलाहकार,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
नई दिल्ली।

सदस्य

1. प्रतिनिधि,
मै. हैदराबाद एसबेस्टस सीमेंट प्रोडक्ट्स लि.,
हैदराबाद।

2. प्रतिनिधि,
मै. हिन्दुस्तान फैरोब्रो लि.,
बम्बई।

3. प्रतिनिधि,
मै. मदर्न एसबेस्ट्स सीमेंट लि.,
मद्रास।

4. प्रतिनिधि,
मै. एस्बेस्टस सीमेंट लि.,
नई दिल्ली।

5. प्रतिनिधि,
मै. एस्बेस्ट्स पैकिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कं. प्रा. लि.,
बम्बई।

6. प्रतिनिधि,
मै. श्री दिग्विजय सीमेंट कं. लि.,
अहमदाबाद।

7. प्रतिनिधि,
मै. रैंज टेलब्रोस प्रा. लि.,
नई दिल्ली।

8. प्रतिनिधि,
खान ब्यूरो, नागपुर

9. प्रतिनिधि आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय।

10. प्रतिनिधि,
आवास और निर्माण मंत्रालय,
नई दिल्ली,

11. प्रतिनिधि,
विकास आयुक्त (लघु उद्योग),
नई दिल्ली।

12. प्रतिनिधि,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग।

13. प्रतिनिधि,
प्लास्टिक निदेशालय,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
नई दिल्ली।

14. प्रतिनिधि,
सीमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ इंडिया,
नई दिल्ली।

15. श्री पी. के. एस. अय्यर,
उप सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग।

सदस्य सचिव

श्री एम. एल. डबराल, सहायक विकास अधिकारी, तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नई दिल्ली।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए और इसे सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

पी. के. एस. अय्यर, उप सचिव

पर्यावरण विभाग

नई दिल्ली-110016, दिनांक 18 अगस्त 1981

संकल्प

सं. एफ. 1/9/81-एन्वा.—भारत सरकार ने राष्ट्रीय पारि-विकास बोर्ड (एन. ई. डी. बी.) को तत्काल स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसके सदस्य निम्नलिखित होंगे:

अध्यक्ष

1. सचिव,
पर्यावरण विभाग

सदस्य

2. सचिव/उनके द्वारा नामित व्यक्ति,
कृषि मंत्रालय

3. सचिव/उनके द्वारा नामित व्यक्ति,
रक्षा मंत्रालय

4. सचिव/उनके द्वारा नामित व्यक्ति,
ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

5. सचिव/उनके द्वारा नामित व्यक्ति,
सिंचाई मंत्रालय

6. सचिव/उनके द्वारा नामित व्यक्ति,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

7. सचिव/उनके द्वारा नामित व्यक्ति,
ऊर्जा मंत्रालय

8. सचिव/उनके द्वारा नामित व्यक्ति,
अन्तरिक्ष विभाग

9. सचिवसचिव (व्यय)/उनके द्वारा नामित व्यक्ति,
वित्त मंत्रालय

10. योजना आयोग के द्वारा नामित व्यक्ति

11. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,

12. महानिरीक्षक, वन

13.—18.6 प्रसिद्ध वैज्ञानिक

19. निदेशक, पर्यावरण विभाग

सदस्य-सचिव

2. बोर्ड एक सलाहकार निकाय होगा और इसे पर्यावरण विभाग द्वारा सचिवालय सेवा प्रदान की जाएगी। बोर्ड के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

(क) विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में क्रांतिक पारितन्त्रों का पता लगाना;

(ख) परियोजनाओं की विस्तृत प्रचालनात्मक रूप-रेखा तैयार करना जो न केवल पारिस्थितिकीय परिरक्षण की आवश्यकताओं की देखभाल करेगी, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में, समेकित तरीके से, चारे, ईंधन, खाद्य, उर्वरक तथा जल की समस्याओं का भी समाधान करेगी;

(ग) बहु विषय शास्त्रीय दलों का गठन, जो राज्य सरकारों/सार्वजनिक संगठनों के सहयोग/परामर्श से विस्तृत परियोजना रूपरेखाओं को तैयार करेंगे;

(घ) योजनाओं तथा परियोजनाओं का अनुमोदन तथा राज्य सरकारों के साथ वित्तीय सहभागिता एवं कार्यान्वयन पर दायित्व की भी व्यवस्था;

(ङ) अभिनिर्धारित परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रणाली का विकास;

(च) इन गतिविधियों को वित्तीय समर्थन प्रदान करना; तथा

(छ) विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों का समन्वय करना।

3. अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बोर्ड बहु-माध्यम और बहु-मुखी दृष्टिकोण अपनाएगा जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:—

1. ऐसे पारिविकास कार्यदलों का संगठन जिनमें रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक, पुनर्वास द्वारा आयोजित भूतपूर्व सैनिकों को शामिल किया जाएगा।

2. पारिविकास शिविरों की स्थापना जिनमें छात्र और गैर छात्र युवक शामिल होंगे।

3. स्थानीय लोगों के संगठनों का गठन जिनके प्रमुख समर्पणशील पर्यावरण वैज्ञानिक या समाजसेवी होंगे।

4. बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 31 मार्च, 1985 तक होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, रेलवे बोर्ड, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्री परिषद के सभी सदस्यों तथा बोर्ड के सभी सदस्यों को भेजी जाए।

एन. डी. जयाल, संयुक्त, सचिव

कृषि मंत्रालय

[कृषि और सहकारिता विभाग]

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 1981

संकल्प

सं. एफ. 11-5/78-एल. डी. 1—इस मंत्रालय के दिनांक 1 अप्रैल, 1981 के संकल्प संख्या 11-5/78-एल. डी.-1 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली में अपर सचिव श्री पी. आर. दुभाषी को तत्काल से आगामी आदेशों तक श्री एस. पी. मुखर्जी, जिन्होंने सचिव (कृषि और सहकारिता) का कार्यभार सम्भाल लिया है, के स्थान पर दिल्ली दुग्ध योजना की प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष नामित करने का निर्णय लिया है।

2. सभी अन्य शर्तें यथापूर्व रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व, निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, सचिव, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द (गुजरात), सचिव, भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, मेयर, दिल्ली नगर निगम, अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि जन साधारण की जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एन. राजगोपाल
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 1981

सं. 22-2/81-एल. डी.-1—राष्ट्रपति, भारतीय डेरी निगम संगम की निगमावली की धारा 15 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग के अपर सचिव (सी. सी. टी.) श्री पी. आर. दुभाषी को श्री एस. पी. मुखर्जी, जिन्होंने कृषि मंत्रालय में सचिव (कृषि और सहकारिता) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है, के स्थान पर तत्काल से भारतीय डेरी निगम के निदेशक बोर्ड निदेशक के रूप में नामजद करते हैं।

सं. 22-2/81-एल. डी.-1—राष्ट्रपति, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग के अपर सचिव (सी. सी. टी.) श्री पी. आर. दुभाषी को श्री एस. पी. मुखर्जी जिन्होंने कृषि मंत्रालय में सचिव (कृषि और सहकारिता) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है, के स्थान पर तत्काल से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में नामजद करते हैं।

के. उप्पिलियप्पन, निदेशक (डेरी विकास)

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 1981

संकल्प

सं. एफ. 14-20-81-टी/6—भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध अनेक परामर्शदात्री अवसरों का लाभ उठाने तथा विश्व के विभिन्न भागों में इस क्षेत्र में भारत की प्रगति दर्शाने के लिए भारत में एक शैक्षिक परामर्शदात्री कम्पनी स्थापित करने का निर्णय किया है। यह कम्पनी, जो एक सार्वजनिक कम्पनी लिमिटेड है, 17-6-1981 को शैक्षिक परामर्शदाता भारत लिमिटेड के नाम से पंजीकृत तथा संस्थापित की गई है।

2. कम्पनी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:—

1. अनेक एजेन्सियों, जैसे कि विकासशील देशों की सरकारों और शैक्षिक संस्थाओं, निधि प्रदान करने वाले संगठनों जैसे कि विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों जैसे कि

यूनेस्को तथा ई. एस. सी. ए. पी. और साथ ही भारत सरकार को भी उनके तकनीकी सहायता/आर्थिक सहयोग कार्य क्रमों में शैक्षिक परामर्शदात्री सेवा प्रदान करना। इस सम्बन्ध में शिक्षा के अन्तर्गत सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का सम्पूर्ण क्षेत्र शामिल है।

2. शैक्षिक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना तथा शैक्षिक परियोजनाओं/कार्यक्रमों की व्यवहार्यता/मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना।

3. पारस्परिक आधार पर शैक्षिक संस्थाओं/कार्यक्रमों की योजना तैयार करना तथा स्थापित करना।

4. शैक्षिक संस्थाओं/कार्यक्रमों की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और निवेशों जैसे कि भवनों, उपस्कर, संकाय तथा अन्य स्टाफ की विशिष्टताओं के सम्बन्ध में सलाह देना।

5. पाठ्यचर्या, अध्यापन साधनों, मूल्यांकन पद्धतियों, शैक्षिक प्रौद्योगिकियों तथा अध्ययन संसाधन केन्द्रों के सम्बन्ध में सलाह देना तथा उनका विकास करना।

6. शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबन्ध के लिए संगठनात्मक ढांचे विकसित करना।

7. रोजगारों तथा व्यवसायों से सम्बन्धित कुशलता तकनीकों की सूची तैयार करना और जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना।

8. सतत शैक्षिक कार्यक्रमों, लघु-कालीन प्रशिक्षण सेमिनार/कार्यशालाएं इत्यादि आयोजित करना।

9. उपयुक्त अध्ययन सामग्री, पुस्तकें और गाइडें तैयार और प्रकाशित करना।

10. विशिष्ट शैक्षिक समस्याओं और जनशक्ति आयोजना के सम्बन्ध में अध्ययन और अनुसन्धान कार्य करना।

11. सहायता देने वाली विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय और विदेशी एजेन्सियों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क विकसित करना और उसे बनाए रखना, ताकि विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम/परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता का पता लगाया जा सके।

3. कम्पनी की शेयर पूंजी केवल 30,00,000/- (तीस लाख रुपये है, जो 100-100 रुपये (केवल एक सौ रुपये) के 30,000 (तीस हजार) इक्वीटी शेयरों में विभाजित है।

4. कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में स्थित होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

चन्द्र शेखर झा, शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)

संचार मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 अगस्त 1981

संकल्प

विषय: हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड द्वारा बनाए जाने वाले प्रस्तावित इलैक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटर का कूंजी पटल तैयार करने के लिए समिति का गठन।

सं. ई. 11013/1/81-हिन्दी—संचार मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास द्वारा इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर बनाए जाने का प्रस्ताव है। विभिन्न प्रयोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड इसका देवनागरी रूप भी तैयार करेगा। क्योंकि इलैक्ट्रो-मैकेनिकल टेलिप्रिंटर में काम आ रहा कूंजी पटल इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर के लिए उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर के देवनागरी कूंजी पटल के डिजाइन को निश्चित करने के उद्देश्य से नीचे लिखे अनुसार एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है:—

अध्यक्ष

1. अपर सचिव, संचार मंत्रालय
2. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

सदस्य

3. संयुक्त सचिव, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय
4. संयुक्त शिक्षा सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय
5. निदेशक, सिगनल तथा दूरसंचार, रेल मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय
7. संयुक्त सचिव, निर्माण तथा आवास मंत्रालय
8. उप महानिदेशक, डाकतार निदेशालय
9. निदेशक, इलैक्ट्रोनिक विभाग
10. सीनियर सिस्टिम एनालिस्ट, इलैक्ट्रोनिक आयोग
11. प्रधान सम्पादक, हिन्दुस्तान समाचार
12. प्रधान सम्पादक, समाचार भारती
13. श्री भवानी प्रसाद मिश्र, विशिष्ट प्रस्तुतकर्त्ता (प्रोड्यूसर इमरिट्स) आकाशवाणी।
14. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास

सदस्य सचिव

15. उप सचिव, संचार मंत्रालय

2. यह समिति:—

(एक) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड द्वारा बनाए जाने वाले देवनागरी इलैक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटर में प्रयोग के लिए कूंजी पटल सुझाएगी। यह कूंजी पटल जहां तक संभव हो, देवनागरी लिपि की संपूर्ण वर्णमाला भेजने और प्राप्त करने में सक्षम हो तथा भारत की सभी प्रान्तीय भाषाओं की ध्वनियों को देवनागरी के लिपिबद्ध कर सकें। देवनागरी कूंजी पटल का डिजाइन ऐसा हो जिसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाले इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर को कम्प्यूटर के लिए 'इनपट' 'आउटपट' मशीन के रूप में प्रयोग किया जा सके।

(घ) सम्बद्ध क्षेत्रों में आगामी अनुसंधान तथा विकास कार्य सुझाएगी।

3. समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को छः महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी। यदि समिति चाहे तो इसी अवधि के दौरान अपनी अन्तरिम सिफारिशें भी प्रस्तुत कर सकेगी; समिति को, निर्धारित समय में अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देने की दृष्टि से कार्यदल बनाने का अधिकार भी है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के. थामस कोरा, अपर सचिव

डाक तार बोर्ड

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 अगस्त 1981

सं. 11-1/80-एल.आई.—राष्ट्रपति ने डाक जीवन बीमा एवं बंदोबस्ती बीमा नियमावली में सहर्ष निम्न संशोधन किए हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को डाक जीवन बीमा एवं बंदोबस्ती बीमा (संशोधन) नियम 1981 कहा जाएगा।

(2) ये पहली सितम्बर, 1981 से प्रवृत्त होंगे।

2. डाक जीवन बीमा एवं बंदोबस्ती बीमा नियमावली के नियम 2 में—

(1) उपनियम (17) के बाद निम्न उपनियम अंत:-स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(18) राष्ट्रीयकृत बैंकों के सभी स्थायी/नियमित कर्मचारी;

"(19) भारतीय स्टेट बैंक के सभी सहायक बैंकों के सभी स्थायी/नियमित कर्मचारी;

"(20) निम्न वित्त दाता संस्थाओं के सभी स्थायी/नियमित कार्मचारी, अर्थात् :—

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक;

(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम;

(ग) भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम;

(घ) भारतीय पुनर्निर्माण निगम; और

"(21) उपनियम (11) से 20 तक उल्लिखित कार्यालयों की नौकरी में वे परीक्षाधीन हकदार होंगे जिनके संबंध में उस कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा जिसमें वे नियुक्त हैं, यह घोषणा की जाएगी कि स्थायी रिक्तियों में अथवा पर परिवीक्षा पर उनकी नियुक्ति की गई है।"

(2) विद्यमान उपनियम (18) को उपनियम (22) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा;

(3) उपनियम (17) के नीचे टिप्पणी को निकाल दिया जाएगा;

(4) इस प्रकार अंत:स्थापित नए उप नियम (21) के नीचे निम्न टिप्पणी जोड़ दी जाएगी, अर्थात् :—

"टिप्पणी : उपनियम (14), 15, (16), (17), (18), (19), (20) और (21) में उल्लिखित व्यक्तियों के मामले में प्रीमियम का भुगतान नकदी में उनके द्वारा चुने गये डाक पर किया जाएगा।"

3. यह वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, बीमा डिवीजन) भारत सरकार की सहमति से जारी किया जा रहा है; देखिए उनका अनौ. सं. 18.इन्श्यो.एका.(2)/81 दिनांक 3-8-1981 तथा डाक तार वित्त डाइरी नं. 2361—एफ.ए. ।।।/81 दिनांक 25-8-1981

एम. आर. इसरानी, निदेशक (डाक जीवन बीमा)

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 1981

संकल्प

सं. पी.डब्ल्यू./पी.टी.एच.-2/81—राष्ट्रीय बंदरगाह बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में नौवहन और परिवहन मंत्रालय के संकल्प संख्या पी.डब्ल्यू./पी.टी.एच.-2/81 दिनांक 10 जुलाई, 1981 में आंशिक संशोधन स्वरूप उक्त बोर्ड में इसकी बाकी अवधि में उड़ीसा राज्य प्रतिनिधित्व राज्य मंत्री, वाणिज्य और परिवहन, उड़ीसा सरकार के बदले अब मंत्री, वाणिज्य और परिवहन, उड़ीसा सरकार करेंगे।

आदेश

आदेश दिया गया कि इस संकल्प की एक-एक प्रति बोर्ड के सदस्यों, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधान मंत्री के सचिवालय, मंत्री-मंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया गया कि संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त 1981

संकल्प

सं. एन-13016/1/81-पी.एस.—इस समय देश में बंगलौर, चंडीगढ़, हावड़ा, दिल्ली, वाराणसी, वल्लभ विद्यानगर, श्रीनगर, जोधपुर, त्रिवेंद्रम और शिमला में 10 ग्रामीण आवास विंग हैं। भारत सरकार कुछ समय से देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के और अधिक ग्रामीण आवास विंग स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करती आ रही है। यह निर्णय किया गया कि रांची, बिहार में तत्काल एक ग्रामीण आवास विंग की स्थापना की जाए।

2. यह ग्रामीण आवास विंग राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के नियंत्रण एवं निदेशन के अधीन कार्य करेगा, जो कि उन्हें अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता देगा।

3. विंग के प्रधान निदेशक (अंश-कालिक आधार पर) होगा जिसकी सहायता प्रभारी अधिकारी तथा अन्य तकनीकी और सहायक कर्मचारी करेंगे। विंग के कर्मचारियों पर उस संस्थान की सेवा शर्तें लागू होंगी जिसके साथ विंग संबद्ध होगा।

4. ग्रामीण आवास विंग के कार्य निम्नलिखित होंगे:—

(1) अनुसंधान और स्थानीय भवन निर्माण सामग्री के उपयोग तथा निर्माण तकनीकियों और ग्रामीण मकानों के डिजाइनों को प्रोत्साहन देना।

(2) सुधरी हुई सामग्रियों और तकनीकियों का प्रचार करना।

(3) चयनित ग्रामों में पर्यावरणीय सुधारों सहित प्रदर्शनी मकानों के समूहों का निर्माण करना।

(4) ग्रामीण आवास परियोजना योजनाओं में योजना तथा परियोजना आरम्भ करने में लगे तकनीकी कार्मिक को प्रशिक्षित और अनुकूल बनाना।

(5) ग्रामीण आवास से सम्बन्धित किसी भी गतिविधि को आरम्भ करना जिसका कि समय-समय पर निर्णय किया जाए।

5. ग्रामीण आवास विंग, रांची, बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ तकनोलोजी रांची में स्थापित किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति प्रेषित की जाए:—

1. निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (25 अतिरिक्त प्रबन्धक)।

2. सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली।

3. सचिव व मुख्य इंजीनियर, बिहार, रांची।

4. प्रिंसिपल, बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ तकनोलोजी, रांची बिहार।

ए. पी. जैन, अवर सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 1981

सं. एस.-24019/21/81-एम. पी.—त्रिपक्षीय समिति द्वारा 21 जनवरी, 1981 को हुई बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसरण में, यह निर्णय लिया गया है कि एक कम्पेक्ट स्थायी त्रिपक्षीय समिति गठित की जाए जिसका गठन निम्नलिखित होगा:—

अध्यक्ष

अपर सचिव,
श्रम मंत्रालय

सदस्य

1. महानिदेशक, श्रम कल्याण,
श्रम मंत्रालय।

2. श्रम सचिव,
कर्नाटक सरकार, बंगलौर।

3. श्रम सचिव,
मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल।

4. श्रम सचिव,
बिहार सरकार, पटना।

5. श्री मधुसूदन बी. कांशे,
प्रेजीडेंट, आल इंडिया बीडी इन्डस्ट्री फेडरेशन,
12, के. दुभाग मार्ग,
(रामपार्ट रो) फोर्ट, बम्बई-400023.

6. श्री बी. एम. सेठी,
सैक्रेटरी,
अखिल भारतीय नियोजक संगठन,
फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली-110001.

7. श्री डी. बी शारदा,
भारतीय नियोजक फेडरेशन,
आर्मी और नैवी, भवन,
148, महात्मा गांधी रोड,
बम्बई-400023.

8. श्री अजीज सेत,
एम. एल. ए.,
नं. 7 कारलेसटन रोड, कुक टाउन,
बंगलौर-560005.

9. श्री एन. बी. कुम्भारे,
प्रेजीडेंट,
नागपुर बीड़ी मजदूर संघ,
मार्फत श्री एस. एस. रामटोका, जय भारत बीड़ी सोसाइटी पंचापओली,
नागपुर-4

10. श्री एन. सी. दत्ता,
सैक्रेटरी,
एटक, 24, केनिंग लेन,
नई दिल्ली-110001.

11. श्री एन. एम. अदयनथाया,
इंटक, के. एस. आर. एम. ट्रस्ट भवन,
लाइट हाउस हिल रोड,
बंगलौर।

12. श्री राम प्रसाद पारीख,
महामंत्री,
अखिल भारतीय बीड़ी मजदूर महासंघ,
वरोराबाद, नानडेड (महाराष्ट्र)

13. श्री जी. कानन,
महामंत्री,
सी., ट्रेड यूनियन हाउस,
कनानोर (केरल)

2. यह समिति बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव करेगी।

3. कल्याण आयुक्त (मुख्यालय), श्रम मंत्रालय, इस समिति के सचिव के रूप में काम करेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

हंस राज छाबड़ा, निदेशक

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 1981

सं. डी जी ई टी-3 (1)/81-ई.ई-1—केन्द्रीय रोजगार समिति के सम्बन्ध में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या डी जी ई टी-3 (1)/81-ई.ई.-1 दिनांक 4 जुलाई, 1981 के क्रम में समिति के गठन में निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाए।

(1) क्रमांक 67 के बाद

68. डा. (कु.) मालती बोलर,

निदेशक, मानवीय और प्राकृतिक स्रोत अनुसंधान सोसाइटी, एम-14, एन.डी.एस.आई.; पार्ट-1, नई दिल्ली-49

(2) 69. श्रीमती जया अरुणाचलम्,
अध्यक्ष, बकिंग महिला फोरअुरस,
55, भीमसेन गार्डन स्ट्रीट, मद्रास

(3) अनु. जा./जनजाति संगठन के दो प्रतिनिधयों (प्रतिवर्ष विभिन्न संगठनों से बारी-बारी से लिए जाने वाले) से संबंधित वर्तमान क्रमांक 68-69 को पुनः क्रमांक 70 और 71 दिया जाए।

दिनांक 29 अगस्त 1981

संकल्प

सं. डी जी ई टी-35(7)/81-ई.ई.-1—विकलांग व्यक्ति संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति के बारे में इस मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प, दिनांक 4 अप्रैल, 1981 के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि डा. के. के. सिंह को उक्त समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। तदनुसार उक्त उल्लिखित संकल्प के पैरा 2 के क्रमांक 42 पर उनके नाम को इस प्रकार शामिल किया जाए।

डा. के. के. सिंह सदस्य
निदेशक,
चिकित्सा पुनर्वास केन्द्र,
पश्चिमी कांग्रेस मैदान,
न्यू एरिया, कदम कुंआ, पटना (बिहार)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्यों सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

के. एस. बराई, उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 9th September 1981

No. 61-Pres./81.—The President is pleased to award the Bar to President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Mizoram Police :—

Names and ranks of the officers

Shri Sawmzuala,
Constable No. 124, P. S. Hnahthial, Mizoram.
Shri Vanhnuaithanga,
Constable No. 75, P. S. Hnahthial, Mizoram.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 2nd February, 1980, information was received that a group of armed extremists had been seen at Phairuang area about 40 kms. from Lunglei. A Police party was detailed to verify the information and make efforts to apprehend the extremists. The entire Police party left for Phairuang at about 6.30 p.m. The vehicle was left about one km. short of the village. The Police party was divided into three groups. The first group consisted of Sawmzuala, Shri Vanhnuaithanga and Shri Thanzuala. As soon as this party crossed the Phairuang Bridge and reached near the fourth house from the bridge, three armed extremists now had taken position in a strategic location surprised the Police personnel and ordered the three constables to raise their hands or else they would be shot dead. One of the extremists particularly pointed out his automatic gun at constable Sawmzuala. With lightening speed all the three constables took cover. Thereupon the armed extremists opened fire on them with pistols and sten-gun. The Police personnel also returned the fire but the ammunition of Shri Sawmzuala and Shri Vanhnuaithanga got exhausted and they became virtually defenceless. Shri Thanzuala continued firing from his sten-gun and with his determination and accurate firing the extremists were forced to take to their heels. While running away they dropped one gun and some ammunition. In the encounter constable Vanhnuaithanga received a bullet injury on his left palm but in spite of the injury he continued chasing the extremists in the midst of heavy cross fire.

In this encounter Shri Sawmzuala and Shri Vanhnuaithanga exhibited conspicuous gallantry, exceptional courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd February, 1980.

No. 62-Pres/81.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Mizoram Police :—

Name and rank of the officer

Shri Thanzuala,
Constable No. 54,
Police Station Lunglei
Mizoram.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 2nd February, 1980, information was received that a group of armed extremists had been seen at Phairuang area about 40 kms. from Lunglei. A Police party was detailed to verify the information and make efforts to apprehend the extremists. The entire Police party left for Phairuang at about 6.30 p.m. The vehicle was left about one km short of the village. The Police party was divided into three groups. The first group consisted of Shri Sawmzuala, Shri Venhnuaithanga and Shri Thanzuala. As soon as this party crossed the Phairuang Bridge and reached near the fourth house from the bridge, three armed extremists who had taken position in a strategic location surprised the Police personnel and ordered the three Constables to raise their hands or else they would be shot dead. One of the extremists particularly pointed out his auotmatic gun at constable Sawmzuala. With lightening speed all the three constables took cover. Thereupon the armed extremists opened fire on the three constables with their pistols and sten-gun. The Police personnel also returned the fire but the ammunition of Shri Sawmzuala and Shri Vanhnuaithanga got exhausted and they became virtually defenceless. Shri Thanzuala continued firing from his sten-gun and with his determination and accurate firing he forced the extremists to take to their heels. While running away they dropped one gun and some ammunition.

In this encounter Shri Thanzuala exhibited conspicuous gallantry, exceptional courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allwoance admissible under rule 5, with effect from the 2nd February, 1980.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF PLANNING

(DEPARTMENT OF STATISTICS)

New Delhi-110001, the 29th August 1981

No. M-13016/3/81-Coord.—It has been decided to set up an Expert Committee on the International Comparison Project under the Chairmanship of Prof. M. Mukherjee, Hony. Professor, Indian Statistical Institute, Calcutta. The composition of the Committee is given below :—

CHAIRMAN

(1) Prof. M. Mukherjee,
Hony. Professor,
Indian Statistical Institute,
Calcutta.

MEMBERS

(2) Prof. K. L. Krishna,
Dean & Director,
Delhi School of Economics,
Delhi.

(3) Dr. A. K. Ghosh,
Chairman,
Bureau of Industrial Costs & Prices,
New Delhi.

(4) Director General,
Central Statistical Organisation,
(Dr. K. C. Seal).

(5) Adviser (PP), Planning Commission,
(Dr. S. P. Gupta).

(6) Economic Adviser,
Ministry of Finance,
(Dr. Mahfooz Ahmed).

(7) Representative from the Reserve Bank of India,
Bombay.

CONVENER

(8) Additional Director,
National Income Division, CSO,
New Delhi.

2. The functions of the Committee will be as under :—

(i) to examine the methods and procedures adopted by the United Nations Statistical Office in the Inter-National Comparison Project (ICP) and to suggest possible improvements thereon; and

(ii) to provide guidance on technical matters relating to different Phases of the ICP.

3. The expenditure of the non-officials on TA/DA for attending the meetings of the Committee will be met by the Department of Statistics according to the normal rules. The secretarial assistance to the Committee will be provided by the Central Statistical Organisation, Department of Statistics.

4. The Expert Committee will continue to function as long as India participates in the International Comparison Project.

M. L. ANAND, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 13th August 1981

No. 13019/1/81-GP.II.—In partial modification of this Ministry's Notification No. 13019/5/79-GP.II dated 23-4-1980 the President is pleased to extend the term of the following members of the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Chandigarh upto 30-9-1981 :—

Ex-Officio Members

1. Chief Commissioner,
Chandigarh Administration,
Chandigarh.
2. M.P. representing the U.T. of Chandigarh.
3. Vice-Chancellor,
Punjab University, Chandigarh.

Non-Official Members

1. Shri Bhopal Singh.
2. Shri Kedar Nath Sharma.
3. Shri Harbhajjan Singh Osahan.
4. Shri R. L. Batta.
5. Shri R. K. Saboo.
6. Shri Joginder Singh Sawhney.
7. Mrs. Shakuntala Bhatia.
8. Shri Sukhwant Singh,
President, Small Industries Association,
Chandigarh.
9. Shri Harbilas Bansal,
Bansal Motors, Sector-28,
Chandigarh.
10. Shri Prem Raj Singh Chowdhry,
H. No. 502, Sector 11,
Chandigarh.
11. Shri Chaman Lal Sharma,
Advocate and Income Tax Practitioner,
Chandigarh.
12. Shri Rakesh Mohinder,
92, Grain Market,
Chandigarh.
13. Shri K. C. Shenmar, Scheduled Castes.
14. Mrs. Kalsi,
Red Cross Blood Bank.
15. Shri Sardul Singh,
Vilkhu, H. No. 235, Sector 19-A,
Chandigarh.
16. Shri Gopi Chand,
Advocate, 588/16-A,
Chandigarh.

S. C. SHARMA, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 7th September 1981

RESOLUTION

No. 4/2/81-EPZ.—Government had set up two free trade zones, one at Kandla (Gujarat) in 1965 and the other at Santacruz (Maharashtra) in 1973. While the Free Trade Zone at Kandla permitted the setting up of any type of industrial unit solely for the purpose of export, the Santacruz Electronics Export Processing Zone (SEEPZ) Scheme was restricted for units pertaining to electronics industry.

2. Government have recently announced a new scheme of 100% export oriented units anywhere in the country with the extension of most benefits excepting notably the tax holiday and the provision of infrastructure which are derived by units in Free Trade Zones. The response for the scheme so far has been encouraging but it would be premature to judge its effectiveness or otherwise at this stage.

3. The progress of the two Free Trade Zones was slow in the initial stages but there has been a significant improvement in 1980-81 so far as Kandla Free Trade Zone (KAFTZ) is concerned. However, the progress at SEEPZ has continued to be rather slow during 1980-81. Some of the reasons for the tardy growth of units in the Free Trade Zones are various handicaps including absence of fiscal benefits, customs clearance and administrative problems. The slower growth in

SEEPZ, in particular, is also attributed to the restrictions imposed in disallowing non-electronic units in the Zone. It has also been said that compared to the Free Trade Zones in other parts of the world, which have made rapid strides in the past few years, the sum total of facilities available in Free Trade Zones are not adequate and attractive enough to attract export worthy units on a large scale in these Zones. Even though the response under the 100% export oriented scheme has so far been encouraging, certain administrative problems have come to surface with regard to this scheme.

4. In view of the problems faced in the working of the Free Trade Zones and the scheme of 100% export oriented units, Government have decided to set up a high level Committee as a Task Force under the Chairmanship of Shri Prakash Tandon, President, National Council of Applied Economic Research. The constitution of the Task Force shall be as under :—

Chairman

(1) Shri P. L. Tandon

Members

(2) Miss Roma Mazumdar
Additional Secretary
Ministry of Commerce

(3) Shri G. S. Sawhney
Member (Customs)
CBEC

(4) Additional Secretary
Department of Economic Affairs

(5) Member, CBDT

(6) Member (Telecommunications)
P&T Board

(7) Economic Adviser
Ministry of Commerce

(8) Development Commissioner
Kandla Free Trade Zone

(9) Development Commissioner
SEEPZ
Bombay.

Member-Secretary

(10) Joint Secretary in charge
of Free Trade Zones in the
Ministry of Commerce.

Shri S. S. Trehan, Secretary, Trade Development Authority will assist the Committee in its deliberations and finalisation of the report.

5. The terms of reference of the Task Force shall be as under :—

(i) Whether Santacruz EPZ should continue as a single product zone or should be converted into a multi product one like Kandla. If Santacruz were to continue as a single product zone, what policy measures could be suggested for improving the performance of Santacruz as a single product zone.

(ii) To examine the new scheme of 100% export oriented production and the facilities granted under that scheme with a view to assessing whether these are adequate for encouraging export production.

(iii) Whether any other set of policy measures is necessary, particularly in respect of financing of investment as well as production for export.

(iv) To recommend future strategy regarding export production, keeping in mind the present schemes in operation i.e. Free Trade Zones and the scheme for 100% export production.

(v) Whether the facilities extended to units in free trade zones in India are comparable to the facilities available in free trade zones in other developing countries. If not, the specific measures necessary to increase the attractiveness of free trade zones for encouraging exports.

(vi) What changes should be made in the administrative structure, autonomy in decision making and procedures for expeditious clearance of various kinds so as to accelerate the progress of the free trade zones.

(vii) Any other measures that may be considered necessary for the achievement of the objective for which free trade zones and other similar schemes have been formulated such as an examination of infrastructural facilities like inland transport, air cargo complexes, financing arrangements, dry port etc.

6. The travel expenses of Shri P. L. Tandon will be met by Government. Since other members are Government servants their travel expenses would be met from the budgets of their respective departments/organisations. The Committee would require to conduct certain research studies and cost benefit analysis by appointing a well known research institution which will also provide a Senior Economist for carrying out such studies. Expenses in this connection would be met by the Ministry of Commerce.

7. The Task Force may coopt any person as its member to assist it in its deliberations.

8. The Task Force shall submit its report before 31st March, 1982.

ORDER

ORDERED that the Resolution may be published in the Gazette of India and that it be circulated to all concerned.

ABID HUSSAIN, Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 22nd August 1981

RESOLUTION

No. 6-14/81-Cent.—With a view to examining the various matters relating to the development of the asbestos cement products industry and other products of asbestos, keeping them under constant review and making suitable recommendations to Government, the Government of India have decided, in supersession of this Department Resolution No. 6-8/76-Cem. dated 9th August, 1977, to re-constitute the Panel on asbestos industry.

2. The Panel will consider *inter-alia* the following :—

(a) Assessment of the present stage of development of the asbestos cement products and to recommend measures necessary for consolidation and for further accelerated growth of this Industry.

(b) Assessment of the future requirements of the various critical inputs for these industries inclusive of asbestos and to recommend ways and means for optimising the use of imported asbestos and increasing utilisation of indigenous fibre.

(c) Examination of the present norms of consumption and levels of efficiency and to suggest measures for reducing wastage *inter-alia* through material conservation, recycling etc., and for achieving higher levels of production.

(d) Formulation of programme for export promotion including current policies on incentives, duty drawback, advances and REP licences etc.

(e) Evaluation of the present level of technology in the industry and to identify the need for further R & D activity particularly in the area of substituting imported asbestos fibre, utilisation of lower grade of imported asbestos and improvement in production processes and techniques.

(f) Forecast of technological, standard and other changes in the end product used for industrial applications and identification of measures required to meet such newer and changing requirements on a short and long term basis.

(g) Examination of the possible substitutes for asbestos particularly in the roofing sheets, as for example development of asphalting roofing sheets and correlating it with the consumer requirements.

(h) Development of special cements and bonding material more suitable for AC products having regard to the strength and other operative requirements.

(i) Formulation of recommendations on the future programme of development of the industry having re-

gard to the development in the alternative materials used for roofing and CI and ACC pipes as substitutes for asbestos cement, building and pressure pipes.

(j) Advice on any other matter relating to the industry which may be referred to the Panel by the Central Government.

Besides the above the Panel will also devote itself to :—

(i) Assessment of capacity requirements which will include assessment of capacity and demand projection etc.

(ii) Availability of raw materials in particular the quality of cement for AC products.

(iii) Technological developments and the most important aspect of asbestos and health hazards.

3. The composition of the Panel is as follows :—

Chairman

Shri S. R. Khanna,
Industrial Adviser,
Directorate General of Technical Development,
New Delhi.

Members

1. Representative of M/s. Hyderabad Asbestos Cement Products Ltd., Hyderabad.
2. Representative of M/s. Hindustan Ferode Ltd., Bombay.
3. Representative of M/s. Southern Asbestos Cement Ltd., Madras.
4. Representative of M/s. Asbestos Cement Ltd., New Delhi.
5. Representative of M/s. Asbestos Packing & Manufacturing Company Private Ltd., Bombay.
6. Representative of M/s. Shree Digvijay Cement Company Ltd., Ahmedabad.
7. Representative of M/s. Reiz Talbros Private Ltd, New Delhi.
8. Representative of Bureau of Mines, Nagpur.
9. Representative of Directorate General of Supplies & Disposals.
10. Representative of Ministry of Works & Housing, New Delhi.
11. Representative of Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi.
12. Representative of Deptt. of Science & Technology.
13. Representative of Plastic Directorate, D.G.T.D., New Delhi.
14. Representative of Cement Research Institute of India, New Delhi.
15. Shri P. K. S. Iyer,
Deputy Secretary,
Deptt. of Industrial Development.

Member Secretary

Shri M. L. Dabral,
Asstt. Development Officer,
DGTD, New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be also published in the Gazette of India for general information.

P. K. S. IYER, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

New Delhi-110016, the 18th August 1981

RESOLUTION

No. F.1/9/81-ENV.—The Government of India has decided to set up a National Eco-Development Board (NEDB) with immediate effect consisting of the following :

Chairman

1. Secretary,
Department of Environment.

Members

2. Secretary/his nominee,
Ministry of Agriculture.
3. Secretary/his nominee,
Ministry of Defence.
4. Secretary/his nominee,
Ministry of Rural Reconstruction.
5. Secretary/his nominee,
Department of Irrigation.
6. Secretary/his nominee,
Department of Science and Technology.
7. Secretary/his nominee,
Department of Energy.
8. Secretary/his nominee,
Department of Space.
9. Secretary(Expenditure)/his nominee,
Ministry of Finance.
10. Nominee of Planning Commission.
11. Director-General, ICAR.
12. I. G. Forests.
13-18. Six Eminent Scientists.

Member Secretary

19. Director, Department of Environment.

2. The Board will be an Advisory Body and will be serviced by the Department of Environment. The main objectives of the Board are as follows :

(a) identification of critical ecosystems, especially in hilly regions;

(b) preparation of detailed operational blue prints of projects to take care not only of the needs of ecological preservation but also to tackle the problems of fodder, fuel, food, fertiliser and water in hilly regions, in an integrated manner;

(c) constitution of multidisciplinary teams who in collaboration/consultation with State Governments and peoples' organisations would develop detailed project profiles;

(d) approval of the schemes and projects and also to tie up financial participation and implementation with the State Governments;

(e) Develop mechanisms for speedy implementation of the identified projects;

(f) provide financial support to these activities; and

(g) to coordinate efforts by various Governmental and non-governmental organisations.

3. In order to achieve its objectives the Board will adopt a multi-channel and multi-pronged approach which will include :

(i) Constitution of Eco-development Task Forces drawn from Ex-Servicemen organised by the Director General of Resettlement in the Defence Ministry.

(ii) Setting up of Eco-development camps involving students and non-student youths.

(iii) Constitution of local peoples' organisations, headed by dedicated environmentalists or social workers.

4. The tenure of the members of the Board shall be upto March 31, 1985.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be Communicated to all State Governments, Administration of Union Territories, Ministries/Departments of the Government of India, Planning Commission, Railway Board, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, All members of the Council of Ministers and all Members of the Board.

N. D. JAYAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION

New Delhi-1, the 26th August 1981

RESOLUTION

No. F. 11-5/78-L.D.I.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 11-5/78-L.D.I. dated 1st April, 1981, it has been decided by the Government of India to nominate Shri P. R. Dubhashi, Additional Secretary, Department of Agriculture & Cooperation, New Delhi as Chairman of the Management Committee of Delhi Milk Scheme with immediate effect until further orders vice Shri S. P. Mukherji, who has since taken over as Secretary (A & C).

2. All the other terms and conditions will remain unchanged.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments/Union Territories, all Ministries/Departments of the Government of India, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, the President's Secretariat, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General Central Revenues, the Director, Commercial Audit, Secretary, National Dairy Development Board, Anand (Gujarat), Secretary, Indian Dairy Corporation, Baroda, the Indian Council of Agricultural Research, the Director General of Health Service, Mayor, Delhi Municipal Corporation, the President, New Delhi Municipal Committee.

ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. RAJAGOPAL, Jt. Secy.

New Delhi, the 25th August 1981

No. 22-2/81-LD.I.—In exercise of the powers conferred by Article 15(2) of the Articles of Association of Indian Dairy Corporation, the President is pleased to nominate Shri P. R. Dubhashi, Additional Secretary (CCT) in this Department as a Director on the Board of Directors of the Indian Dairy Corporation with immediate effect vice Shri S. P. Mukherji, who has since taken over as Secretary (A&C), Ministry of Agriculture.

No. 22-2/81-LD.I.—In exercise of the powers conferred by Rule 2(a) of the Rules and Regulations of the National Dairy Development Board, the President is pleased to nominate Shri P. R. Dubhashi, Additional Secretary (CCT) in this Department as a Member of the National Dairy Development Board with immedaite effect from vice Shri S. P. Mukherji, who has since taken over as Secretary (A&C), Ministry of Agriculture.

K. UPPILIAPPAN, Director (DD)

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE

DEPARTMENT OF EDUCATION

New Delhi, the 27th July 1981

RESOLUTION

No. F. 14-20/81-T.6.—1. The Government of India have decided to set up an educational consultancy company in India to take advantage of the many consultancy opportunities available in the field of education and to establish India's presence in the field in various parts of the world. The company, a public company limited, has been registered and incorporated on 17-6-1981 as "Educational Consultants India Limited."

2. The main objects of the Company are:

1. To offer educational consultancy service to a number of agencies such as Governments and educational institutions of developing countris, funding organisations like the World Bank/Asian Development Bank, international agencies like the UNESCO and ESCAP as well as to the Government of India in the context of its technical assistance/economic co-operation programmes. Education in this context covers the entire spectrum of general as well as professional education and training.

2. To undertake surveys of educational requirements to prepare feasibility/evaluation reports of educational projects/programmes.

3. To plan and establish educational institutions/programmes on turn key basis.

4. To prepare detailed project reports for establishment educational institutions/programmes and to advise on specifications of inputs such as buildings, equipment, faculty and other staff.

5. To advise on and to undertake development of curricula, teaching aids, evaluation systems, educational technologies and learning resource centres.

6. To develop organisational structures for educational administration and management.

7. To assess manpower requirements and to prepare inventory of jobs and skill profiles of occupations.

8. To undertake organisation of continuing educational programmes, short term training seminars/workshops, etc.

9. To undertake preparation and publication of suitable teaching materials, books and guides.

10. To undertake studies and research on specific educational problems and manpower planning.

11. To foster and maintain close liaison and co-operation with various national, international and foreign aid giving agencies with a view to identify availability of resources to implement specific educational programmes/projects.

3. The share capital of the Company is Rs. 30,00,000/- (Rupees Thirty lacs) only divided into 30,000/- (Thirty thousand) equity shares of Rs. 100/- (Rupees one hundred only) each.

4. The Registered Office of the Company will be situated in the Union Territory of Delhi.

ORDER

ORDERED that the resolution be published in Gazette of India for general information.

C. S. JHA,
Education Adviser (Technical)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

New Delhi-110001, the 17th August 1981

RESOLUTION

SUBJECT : *Setting up of a Committee for evolving key board for electronic teleprinter proposed to be manufactured by Hindustan Teleprinters Limited.*

No. R. 11013/1/81-Hindi.—The Hindustan Teleprinters Limited, Madras, a Public Sector Undertaking under the Ministry of Communications is proposing to set up the manufacture of electronic teleprinters. In order to meet the needs of various users, Hindustan Teleprinters Limited would be manufacturing a Devanagari version as well. As the key board which has been used in the electro-mechanical teleprinter would not be suitable for the electronic teleprinter, it has been decided to set up a Committee consisting of the following to finalise a design of the Devanagari Key Board for Electronic Teleprinters :-

CHAIRMAN

1. Additional Secretary, Ministry of Communications.

MEMBERS

2. Joint Secretary, Department of Official Languages.
3. Joint Secretary, Ministry of Information & Broadcasting.
4. Joint Education Adviser, Ministry of Education.
5. Director, Singnals & Telecom., Ministry of Railways.
6. Joint Secretary, Ministry of Defence.
7. Joint Secretary, Ministry of Works & Housing.
8. DDG, P&T Directorate.
9. Director, Deptt. of Electronics.
10. Sr. System Analyst, Electronics Commission.
11. Chief Editor, Hindustan Samachar.
12. Chief Editor, Samachar Bharti.
13. Shri Bhawani Prasad Mishra, Emeritus Producer, All India Radio.
14. Chairman-cum-Managing Director, Hindustan Teleprinters Ltd., Madras.

MEMBER SECRETARY

15. Dy. Secretary, Ministry of Communications.

2. The Committee shall :—

(i) recommend a Key Board to be adopted by Hindustan Teleprinters Limited for the Devanagari Electronic Teleprinter. This key board should, as far as possible, be capable of sending and receiving the complete alphabets of Devanagari script and transcribe phonetic sounds of all Indian Regional Languages in Devanagari script.
The design of the Devanagari Key Board should be such that electronic teleprinters, using Devanagari script can be used as input/output machines for computers; and

(ii) recommend the future research and development work in the allied fields.

3. The Committee shall submit its report to the Government within a period of six months with an option to submit its interim recommendations during the period. The Committee is also empowered to form working groups with a view to finalising the recommendations within the stipulated time.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. GHOSE, Secy.
K. THOMAS KORA, Addl. Secy.

POSTS AND TELEGRAPHS BOARD

New Delhi, the 27th August 1981

No. 11-1/80-LI.—The President is pleased to make the following further amendments to the Postal Life Insurance and Endowment Assurance Rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Postal Life Insurance and Endowment Assurance (Amendment) Ruls, 1981.

(2) They shall come into force on the 1st day of September, 1981.

2. In the Postal Life Insurance and Endowment Assurance Rules, in rule 2,—

(i) after sub-rule (17), the following sub rules shall be inserted, namely :—

"(18) all permanent/regular employees of the Nationalised Banks;

(19) all permanent/regular employees of all the subsidiary banks of the State Bank of India;

(20) all permanent/regular employees of the following financing institutions; namely :—

(a) Industrial Development Bank of India;

(b) Industrial Finance Corporation of India;

(c) Industrial Credit and Investment Corporation of India;

(d) Industrial Reconstruction Corporation of India; and

(e) Unit Trust of India;

(21) probationers in the employment of the offices mentioned in the sub-rules (11) to (20) regarding whom a declaration is made by the Head of the Office to which they belong that they are employed on probation in or against substantive vacancies shall be eligible".

(ii) the existing sub-rule (18) shall be re-numbered as sub-rule (22);

(iii) the existing Note under sub-rule (17) shall be omitted.

(iv) to the new sub-rule (21) as so inserted, the following Note shall be added, namely :—

"Note : In the case of persons mentioned in sub-rules (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) and (21) the premiums shall be paid in cash at the post office selected by them".

3. This issues with the concurrence of Ministry of Finance (Department of Economic Affairs, Insurance Division), Govt. of India, vide their U.O. No. 18-Ins. Acct.(2)/81 dated 3/8/1981 and P&T Finance Dy No. 2361-FA.III/81 dated 25-8-1981.

M. R. ISSARANI, Director (PLI).

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(PORTS WING)

New Delhi, the 14th August 1981

RESOLUTION

No. PW/PTH-2/81.—In partial modification of the Ministry of Shipping and Transport Resolution No. PW/PTH-2/81 dated the 10th July, 1981 regarding reconstitution of National Harbour Board, Minister for Commerce, Government of Orissa, will now represent Orissa State in place of Minister of State, Commerce and Transport, Government of Orissa, for the remaining period of the term.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to the members of the Board, Secretary to the President, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Ministries/Departments of the Government of India and the State Governments concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. K. JAIN, Jt. Secy.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 7th August 1981

RESOLUTION

No. N-13016/1/81-PS.—At present there are ten Rural Housing Wings in the Country situated at Bangalore, Chandigarh, Howrah, Delhi, Varanasi, Vallabh Vidyasagar, Srinagar, Jodhpur, Trivandrum and Simla. The Govt. of India have been considering for some time the question of setting up more such rural housing wings in different parts of the country. It has been decided to establish, with immediate effect a Rural Housing Wing at Ranchi, Bihar.

2. The Rural Housing Wing will function under the control and direction of the National Buildings Organisation who will provide them a financial assistance in the form of grants-in-aid.

3. The Wing will be headed by Director (on part time basis) who will generally be assisted by Officer-in-charge and other technical and supporting staff. The staff of the Wing will be governed by the service conditions applicable to the institution to which they are attached.

4. The functions of the Rural Housing Wing will be :—

(i) To promote research and use of local building materials and construction techniques and designing of village houses.

(ii) To propogate the use of improved materials and techniques.

(iii) To construct clusters of demonstration houses alongwith environmental improvements in selected villages.

(iv) To train and orient the technical personnel employed on planning and execution of projects under the village housing project schemes.

(v) To carry out any other activity connected with Rural housing as may be decided from time to time.

5. The Rural Housing Wing, Ranchi will be situated at Birla Institute of Technology (B.I.T.), Ranchi.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to :—

1. Director, NBO (25 spare copies).
2. Secretary, Planning Commission, New Delhi.
3. Chief Secretary to the Govt. of Bihar, Ranchi.
4. Principal, Birla Institute of Technology, Ranchi, Bihar.

A. P. JAIN, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 26th August 1981

RESOLUTION

No. S-24019/21/81-M.V.—In pursuance of the recommendations made by the Tripartite Committee at its meeting held on 21st January, 1981, it has been decided to constitute a Compact Standing Tripartite Committee with composition as follows :—

Chairman

Additional Secretary,
Ministry of Labour.

Members

(1) Director General Labour Welfare,
Ministry of Labour.

(2) Labour Secretary,
Government of Karnataka,
Bangalore.

(3) Labour Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal.

(4) Labour Secretary,
Government of Bihar,
Patna.

(5) Shri Madhusudan B. Kushe,
President,
All India Beedi Industry Federation,
12, K. Dubhash Marg,
(Rampart Row) Fort, Bombay-400 023.

(6) Shri B. M. Sethi,
Secretary,
All India Organisation of Employers,
Federation House, New Delhi-110001.

(7) Shri D. B. Sarda,
Employers Federation of India,
Army and Navy Building,
148, Mahatma Gandhi Road,
Bombay-400 023.

(8) Shri Azeez Sait,
M.L.A.,
No. 7, Carleston Road,
Cooke Town, Bangalore-560 005.

(9) Shri N. B. Kumbhare,
President,
Nagpur Beedi Mazdoor Sangh,
C/o Shri S. M. Ramteka, Jay Bharat Beedi Society,
Panchapaoli, Nagpur-4.

(10) Shri N. C. Dutta,
Secretary,
A.I.T.U.C.,
24, Canning Lanes, New Delhi-110001.

(11) Shri N. M. Adyanthaya,
I.N.T.U.C.,
KSRM Trust Building,
Light House Hill Road, Bangalore.

(12) Shri Ram Prasad Parikh,
Maha Mantri,
Akhil Bhartiya Beedi Mazdoor Maha Sangh,
Warirabad, Nanded (Maharashtra).

(13) Shri G. Kannan,
Vice President,
CITU, Trade Union House,
Cannanore (Kerala).

2. The Committee will review the implementation of Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966, and make proposals for amendment of the Act if necessary.

3. Welfare Commissioner (Hq.), Ministry of Labour will function as Secretary of the Committee.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

HANS RAJ CHHABRA, Director

(D.G.E.&T.)

New Delhi, the 28th August 1981

No. DGET-3(1)/81-EE-I.—In continuation of Government of India, Ministry of Labour Notification No. DGET-3(I)/81-EE-I dated 4th July, 1981, regarding Central Committee on Employment the following addition may be made in the composition of the Committee :—

(i) After Sl. No. 67,

68. Dr. (Miss) Malathi Bolar,
Director,
Human and Natural Resources Research Society,
M-14, NDSE Part I,
New Delhi-49.

(ii)

69. Smt. Jaya Arunachalam,
Presidnt Working Women's Forum,
55, Bhimsen Garden Street,
Madras.

(iii) The existing Sl. Nos. 68-69 relating to two representatives of Scheduled Caste/Tribe Organisation (to be rotated every year among the different organisations) may be re-numbered as 70 and 71.

The 29th August 1981

RESOLUTION

No. DGET-35(7)/81-EE.I.—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated the 4th April, 1981 on the Central Advisory Committee on Physically Handicapped Persons, it has been decided to include Dr. K. K. Singh as a member of the said Committee. Accordingly, his name be inserted at serial number 42 in para 2 of the above mentioned Resolution as follows :

Dr. K. K. Singh, *Member*
Director,
Medical Rehabilitation Centre,
West of Congress Maidan,
New Area, Kadam Kuan,
Patna (Bihar).

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments, Administrations of Union Territories, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. S. BAROI, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981